फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

पत्रावली संख्या 90 सन् 2013 किस्म मुकदमा प्रा०पत्र

चमनसिंह बनाम पृथ्वीसिंह वगैरह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
	अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध होवे वादग्रस्त भूमि से संबंधित न्यायालय मे वाद विचाराधीन है मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे विरुद्ध विपक्षीगण के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है। वादग्रस्त भूमि ग्राम केसर की आराजी नम्बर 318 रकबा 0.13 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 263 रकबा 3.12 हेक्टेयर की मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से रद्द हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे।	

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द